न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 97/2021

प्रार्थीगण

01. सोहनलाल पुत्र गुलाराम जाति माली
02. मंजू पत्नी जवरीलाल जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा रोड़ सोजतसिटी।
03. उकड़ाराम पुत्र ओगड़राम जाति माली
04. पुष्पा पत्नी ओगड़राम जाति माली ,
05. केवलराम
06. गणपतराम
07. मुकनाराम पीसरान मूलाराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम जाति माली
08. कौशल्या
09. गीता
10. चन्द्रा पुत्रीयां मूलाराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम जाति माली
11. मिश्रीलाल
12. वेनाराम पीसरान मोतीलाल जाति माली
13. स्वर्गीय पेमाराम पुत्र मोतीलाल के कायम मुकाम
    13/01 सुकनीदेवी पत्नी स्वर्गीय पेमाराम
    13/नत्थाराम
    13/03नर्बदा
    13/04 शोभा पीसरान स्वर्गीय पेमाराम जाति माली
14. रूपाराम
15. रामचन्द्र पीसरान श्रीराम जाति माली
16. सुकनाराम
17. रमेश पीसरान घेवरराम जाति माली निवासीयान– म4गरिया बेरा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला– पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. मदनलाल पुत्र सोनाराम
02. उषा पत्नी मदनलाल
03. नाराराम पुत्र उन्दरराम
04. भीकी पुत्री धन्नाराम
05. विधा पुत्री धन्नाराम
06. सोहनलाल पुत्र घेवरराम जातियान माली निवासीयान मगरिया बेरा, सोजतसिटी तहसील– सोजत जिला– पाली।
07. तहसीलदार सोजत तहसील– सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितिः–

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02 श्री प्रफुल ओझा एवं श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रतिवादी उप0

–: निर्णय :– दिनांक 22/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

ग्राम धंधेड़ी पटवार हल्का मण्डला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण संख्या 01 से 17 व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त सामलता खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 243 लगायत 255, 259 लगायत 270, 277 लगायत 285 कुल खसरा 34 कुल रकबा 6.7900 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अविभाजित कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि का आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में वैध व विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि में अपने अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर मौखिक बंटवाड़ा अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है । वादस्थ कृषि भूमि में सभी सहखातेदारान अलग अलग टुकड़ों पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादस्थ कृषि के सहखातेदारन भी संख्या में अधिक होने वा वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नंबरान अनुसार भूमि का रकबा कम होने से मौके पर अलग अलग टुकड़ो पर पर काबिज काश्त होने से पक्षकारान को कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करने में भारी कठिनाईयों का सामाना करना पड़ रहा है तथा अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ो में कब्जा काश्त होने से एक खसरा नबंर की भूमि में कब्जा काश्त हेतु आने जाने में रास्ते के उपयोग उपभोग को लेकर भारी कठिनाईयों का सामना करनना पड़ रहा है। मौके पर अनावश्यक कब्जा काश्त को लेकर झगड़ा विवाद होते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के साथ वादस्थ सम्पूर्ण आराजीयात का नजरी नक्शा परिशिष्ट–क प्रस्तावित बंटवाड़ा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से की भूमि को अलग अलग दर्शाया है। वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या एक से पांच अनावश्यक प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में हर समय बाधा कारित करने में उतारू रहते है। दिनांक 07.07.2021 को सुबह करीब 08:00 बजे प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की सार संभाल हेतु मौके पर गऐ तो आगे अप्रार्थी संख्या एक से पांच द्वारा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में जाने से अवरोध करने हेतु मौके पर बिना किसी अधिकार के अवैध रूप से खम्भे रोपकर प्रार्थीगण का रास्ता अवरूध करने पर उतारू हो गए एवं गाली गलौच कर वादस्थ भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही करने व जाने से खत्म करने हेतु एलानियां धमकियां देने लगे। अप्रार्थी संख्या एक से पांच बिना किसी वैध अधिकार के वादस्थ अविभाजित कृषि भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाए विशिष्ट भू–भाग पर अवैध कब्जा कर भौतिक स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करने पर उतारू है। प्रार्थीगण वादस्थ भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाएगे, जिसका मूल्यांकन कतई रूपयों में नहीं आंका जा सकता है, इसलिए अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का उक्त अस्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि सरहद मौजा ग्राम धंधेड़ी पटवार हल्का मण्डला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण संख्या 01 से 17 व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त सामलता खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 243 लगायत 255, 259 लगायत 270, 277 लगायत 285 कुल खसरा 34 कुल रकबा 6.7900 हैक्टर भूमि में मौके पर प्रार्थीगण के हक हिससे, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे तथा वादस्थ भूमि में अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए किसी विशिष्ट

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

भू-भाग पर अवैध निर्माण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से कराए । और राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल दवे और अप्रार्थी संख्या चार से छ की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द दवे ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि अवश्य प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के सयुक्त खातेदारी हक की रेवेन्यू रेकर्ड में जर्द है। परन्तु इस कृषि भूमि का 40 वर्ष पूर्व पक्षकारान के बडेरों के मध्य मौखिक बंटवाडा हो चुका है। वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अविभाजित कृषि भूमि होना गलत लिखा हे। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थीग्ण संख्या में अधिक होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा मौके पर कब्जा काश्त से बिलकुल ही विपरित है। 40 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडा अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट अ संलग्न है। प्रार्थीगण ने दिनांक 07/07/2021 को बताई गघना बिलकुल ही गलत है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण निर्माण कार्य बाधित करने पर उतारू है। प्रथम दृष्टया मामला / सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तिनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है।

अप्रार्थीय संख्या 01 से 03 ने प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खातेदारी हक की रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज काउण्टर प्रार्थना पत्र जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा धंधेडी में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित खसरा भूमि की आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 नीचे माफिक खसरा नम्बर में पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडा अनुसार काबिज चले आ रहे है, एवम् उसी माफिक कब्जा काश्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 284, 285 266, 267, 249, 248 व खसरा नम्बर 258 में क्रमशः दो जगह एम व एन भूमि उपरोक्त खसरा नम्बरान का नजरी नक्शा'अ' प्रति प्रार्थना के साथ प्रस्तुत पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की कब्जा काश्त भूमि को दर्शाया गया है। वादस्थ भूमि का 40 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवाडा हो चुका है। जिस अनुसार सभी खातेदारान कबिज काश्त है।इस लिए ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने जबाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धंधेडी पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत की वादस्थ भूमि में अवश्य ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत 06 मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि अविभाजित कृषि भूमि है जिस भूमि का आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में विधिक बंटवाडा नहीं हो रखा है। अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार दर्ज होने से मनमर्जी एवं कब्जा काश्त के अभाव में पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडा का नजर अंदाज करते हुए बंटवाडा करना चाहते है तथा यह भी लिखना गलत है कि ऐलानिया धमकियां दे हे है कि हम तो मौखिक बंटवाडा को नहीं मानते है हम तो ऐसे ही झुठी कार्यवाही कर बंटवाडा करवा देंगे। अप्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है जिबकि वास्तविकता यह है

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कि अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन लाठी लकड़ी के बल पर दिनांक 12.09.2021 को मौके पर उक्त अविभाजित कृषि भूमि पर बिना विधिक बंटवाड़ा करवए जबरदस्ती खड्डे खोदकर मौके पर खम्भे रूपवा कर अवैध कब्जा करने पर उतारू हुए जिस पर वादीगण के द्वारा इनको मना किया तो नहीं माने और ऐलानियां धमकियां देने लगे कि हम तो बिना विधिक बंटवाडा करवाए मौके की स्थिति में परिवर्तन करके रहेंगे ताकि वादीगण के आवागमन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे जिस पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादी को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु निवेदन किया लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए तथा वादीगण के साथ गाली गलौच करने पर उतारू हो गए । प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि के संयुक्त रेकर्डेड खातेदार है, विधि अनुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकी है इसलिए अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए अप्रार्थीगण का उक्त प्रति प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रार्थीगण खारिज योग्य है। इस प्रकार जवाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र को सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जाने तथा प्रार्थ्रीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा किए जाने के आदेश पारित किए जाने की ईशतदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 04 से 06 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 04 व 05 का वादस्थ भूमि में खसरा नम्बर 283, 268, 260, 246 पर तथा अप्रार्थी संख्या 06 का खसरा नम्बर 263 पर मौके पर काबिज है। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा राजस्व रेकर्ड मे किया जावे तथा प्रार्थी की अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रार्थीग्ण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके खातेदारी से महरूम करने पर उतारू है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषधाज्ञा वाद निस्तारण तक प्रार्थी के हक हिस्से मे दखल अन्दाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किए जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्राथ्रीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का जबाब काउन्टर प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण को पाबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी नही करने हेतु पाबन्द किये जने का आदेश जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पत्र जबाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिस पर उभय पक्ष के कथन / वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदारान अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रेकर्ड में वादस्थ कृषि भूमि सामलाती सयुक्त खातेदारी की दर्ज है। प्रकरण विभाजन व घोषणा का है। जिससे वाद निर्णय तक उभय पक्षों का मौके की यथा स्थिति बनाये रखने एवं एक दुसरे के मौके स्थित कब्जे में दखल अन्दाजी किये जाने एवं विशिष्ठ भू0भाग का बैचान किये जाने हेतु रोका जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम धंधेड़ी पटवार हल्का मण्डला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली में स्थित प्रार्थीगण संख्या 01 से 17 व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त सामलता खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 243 लगायत 255, 259 लगायत 270, 277 लगायत 285 कुल खसरा 34 कुल रकबा 6.7900 हैक्टर की स्थित कृषि भूमि में उभय पक्षकारान वाद निर्णय तक एक दुससे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी नही करेगें एवं मौके की यथा स्थिति वाद निर्णत तक कायम रखेगें तथा विशिष्ट भू0भाग का बेचान नही करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली